न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), सहारनपुर।
वाद संख्या 1244/2022 (CNR NO. UPSP05-002146-2022)
श्रीमती अनम बनाम मौ0 शाहिद शमशी

03.01.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर पक्षकार विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुलहनामा कागज संख्या 14क–1 पर पूर्व नियत तिथि सुना जा चुका। पत्रावली आदेशार्थ नियत है।

पक्षकारों की ओर से सुलहनामा कागज संख्या–14क–1 दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उक्त वाद में पक्षकारगणों के मध्य सुलह इस प्रकार से करा दी है कि वाद वादी स्वीकार है प्रतिवादी ने विवादित सम्पत्ति वादनी को दिनांक 20.09.2022 को हिबा जुबानी की थी जिसको वादनी ने कबूल व मंजूर कर लिया था और प्रतिवादी से कब्जा वाकई व मालकाना ले लिया था दिनांक 20.09.2022 से विवादित सम्पत्ति के मालिक व काबिज वादनी चली आ रही हैं जिससे प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नही रहा था और ना है। प्रतिवादी वादनी के कब्जा इस्तेमाल विवादित सम्पत्ति में कभी हस्तक्षेप नही करेगा अब कोई झगडा पक्षकारों के बीच बाकी नही रहा है। खर्चा पक्षकारगण अपना–अपना वहन करेगे। प्रार्थना की गयी है कि वाद उपरोक्त को सुलहनामे के अनुसार तय फरमाया जाकर डिक्री का भाग बनाया जाये।

प्रार्थी के कथनानुसार बजरिये हिबा जुबानी के आधार पर वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति पर काबिज दाखिल है।

सुलहनामा की शर्तो को पक्षकारों के द्वारा स्वीकार किया गया। वादी श्रीमती अनम को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अहसन अजीम एडवोकेट एवं प्रतिवादी मौ0 शाहिद शमशी को उनके विद्वान अधिवक्ता एम0एस0 अजीम एडवोकेट द्वारा शिनाख्त किया गया है। सुलहनामा कागज संख्या–14क–1 को उभयपक्षों को पढकर सुनाया व समझाया गया तथा पक्षकार व उनके विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। प्रस्तुत वाद सुलहनामा कागज संख्या–14क–1 की शर्तो के अधीन निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद संख्या 1244/2022 श्रीमती अनम बनाम मौ0 शाहिद शमशी दाखिल सन्धिपत्र कागज संख्या 14क–1 के आधार पर निम्न शर्तो के अधीन निर्णीत किया जाता है।

1– सन्धिपत्र कागज संख्या 14क–1 केवल उपस्थित पक्षकारो पर लागू होगा।

2– यदि प्रश्नगत सन्धिपत्र के अन्तर्गत सम्पत्ति का अन्तरण अन्तरवलित होगा और उस अन्तरण पर नियमानुसार कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क अथवा स्टाम्प शुल्क देय होगा, तो प्रश्नगत आदेश उक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क अथवा स्टाम्प शुल्क नियमानुसार दिये जाने के पश्चात ही प्रभावी समझा जायेगा।

3– वादपत्र मे वर्णित विषय वस्तु से भिन्न होने पर उक्त सन्धिपत्र प्रभावी नही होगा तथा सुलहनामा की शर्त यदि किसी वर्तमान विधि के किसी प्रावधान के विपरीत हो तो उस सीमा तक यह सुलहनामा शून्य होगा।

4– उक्त सन्धिपत्र कागज संख्या 14क–1 का किसी भी न्यायालय की कार्यवाही पर व प्रश्नगत सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य विवाद पर कोई प्रभाव नही पडेगा।

5– उक्त सन्धिपत्र के माध्यम से यदि किसी तृतीय पक्ष का हित प्रभावित होता है तो

उक्त सन्धिपत्र प्रभावी नही होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि पक्षकारो द्वारा प्रकरण मे किसी प्रकार का तथ्य गोपन किया गया होगा तो उक्त तथ्य के संज्ञान मे आते ही प्रश्नगत आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

सुलहनामा कागज संख्या–14क–1 डिक्री का अंश रहेगा। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करेगे। उक्त सुलहनामा कागज संख्या–14क–1 विधि के उपबन्धों के अधीन प्रभावी होगा।

(श्रीपाल सिंह)
सिविल जज, (सी0डि0),
सहारनपुर।

Digitally signed by Shripal Singh
Date: 2023.01.03 17:37:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court